

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अलीगढ़।

विषय: चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) को नई पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना, (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अछादित करने हेतु जी0पी0एफ0 फार्म प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी

पुत्र श्री वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद अलीगढ़ में एम0ओ0सी0एच0 के पद पर तैनात हैं, एवं आज दिनांक तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अछादित हैं। प्रमुख सचिव, (आयुष) उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0-3335/96-1001(009)/9/2025/ई0-1958143 दिनांक 25.11.2025 एवं निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-8254 (1-12)/18 ए0-652/2024/अधि0 दिनांक 03.12.2025 के क्रम में 275 चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) को उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स-1961 के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली से अछादित किया गया है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम सं0-..... पर अंकित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के जी0पी0एफ0 फार्म, आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित किये जा रहे हैं।

NAME	
PRAN NO.	
ADHAAR NO.	
PAN NO.	

संलग्नक: 1-जी0पी0एफ0 फार्म तीन प्रतियों में।

2-शासनादेश की छायाप्रति।

3-आधार कार्ड की छायाप्रति।

4-पैन कार्ड की छायाप्रति।

5-प्रान नम्बर की छायाप्रति।

दिनांक:

भवदीय,

(.....)
चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,.....
जनपद अलीगढ़।